



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या **737** राँची, मंगलवार 7 आश्विन, 1937 (श०)
29 सितम्बर, 2014 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

23 सितम्बर, 2015

संख्या-एल०जी०-35 / 2015-99--लेज० झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल दिनांक-17 सितम्बर, 2015 को अनुमति दे चुके हैं इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखंड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2015

(झारखंड अधिनियम संख्या-10, 2015)

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित-कर अधिनियम, **2005** (झारखण्ड अधिनियम, 05, 2006)
में संशोधन हेतु अधिनियम

एतद् द्वारा भारतीय गणतंत्र के छियासठवें वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:-

- (i) यह अधिनियम झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।
- (ii) यह पूरे झारखण्ड राज्य में लागू होगा।
- (iii) यह दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. धारा 18 में संशोधन:-

- (क) उपधारा (3) में शब्द 'प्रयुक्त किया जा सकता है' के पश्चात् शब्द 'या उपभोग किया गया' विलोपित किया जायेगा।
- (ख) उपधारा (4) की कंडिका (ii) में विद्यमान प्रावधान "केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम (1956 का 74) की धारा - 8 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अन्तर्राज्य व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में बिक्रय" के पश्चात् एक परन्तुक निम्नवत् जोड़ा जायेगा:-

'परन्तु यह कि अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में बिक्री की जाने की स्थिति में क्रय पर अनुमान्य इनपुट टैक्स क्रेडिट केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) के अंतर्गत भुगतेय केन्द्रीय बिक्री कर की दर की सीमा तक ही अनुमत/अनुमान्य किया जायेगा।'

- (ग) उपधारा (4) की कंडिका (iii) में, शब्द समूह 'कच्चे माल के रूप में उपयोग' के पश्चात् शब्द 'और' विलोपित किया जायेगा।
- (घ) उपधारा (4) की कंडिका (iii) में, विद्यमान प्रावधान के पश्चात् एक परन्तुक निम्नवत् जोड़ा जायेगा:-
'परन्तु यह कि अन्तर्राज्य व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में बिक्री की जाने की स्थिति में क्रय पर अनुमान्य इनपुट टैक्स क्रेडिट केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) के अंतर्गत भुगतेय केन्द्रीय बिक्री कर की दर की सीमा तक ही अनुमत/अनुमान्य किया जायेगा।'
- (ङ) विद्यमान उपधारा (8) में विद्यमान कंडिका (ix) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा:-
(ix) अन्तर्राज्य भंडार अंतरण या राज्य के बाहर बिक्री के लिए वस्तु के विनिर्माण या प्रोसेसिंग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त माल।
- (च) विद्यमान उपधारा (8) में कंडिका (xvii) में, एक नई कंडिका (xviii) निम्नवत् जोड़ी जायेगी:-

(xviii) 'विनिर्माण प्रक्रिया के क्रम में उपभोग किये गये या जल गये मालों के संदर्भ में जो किसी वस्तु या अन्य रूप में उत्पादित माल में हस्तांतरित नहीं हो सके हो या जो अस्तित्व में नहीं रहा हो।'

(छ) विद्यमान उपधारा (10) में शब्द एवं विराम चिह्न 'जिसमें माल का उपभोग किया गया हो', के पश्चात् शब्द 'उपभोग किया गया' को विलोपित किया जायेगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,
माया शंकर राय,
प्रभारी प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधिसूचना

23 सितम्बर, 2015

संख्या-एल0 जी0-35/2015-100--लेज0 झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक-17 सितम्बर, 2015 को अनुमत झारखंड मूल्यवद्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2015 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

The Jharkhand Value Added Tax (Amendment) Act, 2015
(Jharkhand Act, 10, 2015)

An Act to amend Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 (Jharkhand Act 05, 2006)

Be it enacted in the sixty sixth year of the Republic of India by the state legislature in the following manner-

Short title, extent and commencement –

- (i) This Act may be called the Jharkhand Value Added Tax (Amendment) Act, 2015.
- (ii) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.
- (iii) It shall be deemed to be effective from 1 April, 2015.

Amendment in Section- 18

- a) In sub-section (3), after the words '**may be used**', the words '**or consumed**' shall be deleted.
- b) In clause (ii) of sub- section (4), after the existing provision '**Sale in course of inter-State trade and commerce falling under sub-section (1) of Section 8 of the Central Sales Tax Act 1956 (74 of 1956)**', a proviso shall be added in the following manner:-

Provided that the Input Tax Credit on purchases when sold in course of inter State trade or Commerce shall be allowed only to the extent of the Central Sales Tax payable under the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956).

- c) In clause (iii) of sub- section (4), after the words '**use as raw material**', the word '**and**', shall be deleted.
- d) In clause (iii) of sub-section (4), a proviso shall be added in the following manner :-

Provided that the Input Tax Credit on purchases when sold in course of inter State trade or Commerce shall be allowed only to the extent of the Central Sales Tax payable under the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956).

- e) In the existing sub-section (8), the clause (ix) shall be substituted in the following manner:-
- (ix) '**In respect of goods used as raw materials in manufacturing or processing of goods for interstate transfer of stock or for sale out side the State**'.
- f) In the existing sub section (8), after the clause (xvii), a new clause (xviii), shall be added in the following manner:-
- (xviii) '**In respect of goods consumed or burnt up in course of manufacturing process and are not transferred into or existent in the finished product whether as goods or in any other form**'
- g) In the existing sub section (10) after the words and punctuation mark, '**to which goods are used,**' the word '**Consumed**' shall be deleted.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,
माया शंकर राय,
प्रभारी प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।
